वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :– FP/CG/Others/152258/2022

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	सूरजपुर
iii	वन प्रभाग	सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि (हेक्टेयर)	1.820
v	वन की कानूनी स्थिति	राजस्व वनभूमि –1.820 हे.
VI	वनस्पति का घनत्व	वन घनत्व – 0.4 से कम
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	आवेदित राजस्व वनक्षेत्र पर कोई भी वृक्ष विद्यमान नहीं है।
viii	भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रस्तावित राजस्व वनभूमि में भू –क्षरण नगण्य है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	परियोजना राजस्व वनभूमि में प्रस्तावित है।
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नही है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नही है।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की मॉग न्युनतम एवं आवश्यक है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	

S.K.YADAV
(I.F.S.)
Divisional Forest Officer
Surajpur, Distt. Surajpur(C.G.)

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रस्ताव में ग्राम बकिरमा तहसील प्रेमनगर अंतर्गत राजस्व वनभूमि खसरा नम्बर 780 कुल रकबा 51.340 हे. में से 3.640 हे. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आंबटित किया गया है। भूमि का विवरण एवं मानचित्र चेकलिस्ट क्रमांक 14 में संलग्न है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न हैं
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न हैं
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रुपये 3198784.00
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रतिपूरक वनीकरण परियोजना चेक लिस्ट क्रमांक 17 में संलग्न है।
11	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नही पाई जाती है न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक सस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही किया गया है
12-	विभाग/जिला प्रोफाईल	
i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	जिले का कुल 5181.855 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र है।
ii.	जिले का वनक्षेत्र	जिले का कुल 1655.722 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	27 मामलो मे 2679.044 हेक्टर
iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः	4726.641 हे.
	क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
	ख. वनेत्तर भूमि पर ।	18.680 हे.
v.	वर्ष 2018–19 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	
	क. वनभूमि पर।	4707.961 हे.
	ख. वेनेत्तर भूमि पर	18.680 हे.
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 5.8.22

स्थान : JJIM–तिलसिवा

S.K.YADAV
(I.F.S.)
Divisional Forest Officer
Surajpur,Distt.Surajpur (C.G.)